भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 446

उत्तर देने की तारीख 23.07.2025

बुधवार, 1 श्रावण, 1947 (शक)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना

446. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उद्योग कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने में मौजूदा, उन्नत आईटीआई और नव स्थापित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को लागू करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस योजना में सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए लक्षित 50,000 प्रशिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए सहायता प्रदान करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उद्योग में हुई प्रगति की अद्यतन जानकारी है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) जी हाँ। मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के स्तरोन्नयन और कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) की स्थापना हेतु राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 60,000 करोड़ (केंद्रीय हिस्सेदारी: ₹ 30,000 करोड़, राज्य हिस्सेदारी: ₹ 20,000 करोड़, और उद्योग हिस्सेदारी: ₹ 10,000 करोड़) है। इस योजना के अंतर्गत मौजूदा आईटीआई, स्तरोन्नत आईटीआई और नए उत्कृष्टता केंद्रों के कार्य निष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन हेतु प्रावधान किए गए हैं।

इस योजना का उद्देश्य उद्योग-अनुकूल पाठ्यक्रमों के साथ हब-एंड-स्पोक व्यवस्था के अंतर्गत 1,000 राजकीय आईटीआई को स्तरोन्नत करना और कौशल विकास के लिए पाँच एनसीओई की स्थापना सहित पाँच (05) राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) को स्तरोन्नत करना

है। कार्यान्वयन की निगरानी करने और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उद्योग भागीदारों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। इस योजना में इसकी करगरता का आकलन करने के लिए प्रभाव आकलन और तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के प्रावधान भी शामिल हैं।

(ख) जी हाँ। इस योजना में सेवा-पूर्व और सेवाकालीन कार्यक्रमों के माध्यम से 50,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नवीनतम उद्योग आवश्यकताओं और शिक्षण पद्धतियों से अवगत रहें।

*****